

भाग 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

12. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की है क्या इसका

सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

हाँ

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को निरीक्षण

नोट के रूप में संलग्न करें।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और

हाँ

उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सम्बन्धित

वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश।

प्रस्तावित वन संरक्षक के नाम पर वन संरक्षक द्वारा जारी किया गया प्रस्ताव  
लगातार प्रस्ताव के वन संरक्षक, अति निम्नलिखित  
पत्र संख्या / प्र. सं. / 1149 / आ. सं. / 10 / 10 /  
2012 / प्र. सं. / 10 / प्र. सं. / 15 / 2012 के  
द्वारा गैर प्राकृतिक वन संरक्षण प्रस्ताव को  
निलंबित की संज्ञा दी जाती है।

हस्ताक्षर -

नाम -

(ओ.पी. सिंह)

सरकारी मोहर - वन संरक्षक

सरयू वृत्त

कैलाशपुर (ब०प्र०)

तिथि :- 12/05/2016

स्थान :- कैलाशपुर